न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
21/2017 प्रा.पत्र/2017	03.03.2017	05.06.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री अमित कुमार जैन पुत्र श्री रमेश जैन जाति महाजन निवासी मेन मार्केट ककोड तह. उनियारा जिला टोंक मैसर्स अमित ट्रेडर्स बस स्टैण्ड ककोड तह. उनियारा जिला टोंक।

2– मैसर्स अमित ट्रेडर्स बस स्टैण्ड ककोड तह. उनियारा जिला टोंक।

3–श्रीमति नीतू प्रोपरायटर मैसर्स लक्ष्मी एजेन्सीज बी–1, नेहरू नगर, पानीपेंच जयपुर राज0।

4–मैसर्स लक्ष्मी एजेन्सीज बी–1, नेहरू नगर, पानीपेच जयपुर राज0।

5–श्रीमति नेहा जैन पत्नि श्री कमल कुमार जैन निवासी बी–140, नेहरू नगर पानीपेच जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स विनायक सेल्स कॉरपोरेशन जी 7, एच–31, कृष्णा अपार्टमेन्ट, रोड नं0 9, वीकेआई एरिया जायपुर राज0 ।

6– मैसर्स विनायक सेल्स कॉरपोरेशन जी 7, एच–31, कृष्णा अपार्टमेन्ट, रोड नं0 9, वीकेआई एरिया जायपुर राज0।

7–श्री वी.एम. मनोज नॉमिनी मैसर्स ईस्टर्न कॉन्डीमेन्ट्स, प्रा0 लि0 खसरा नं0 136 ए, 135बी, 136सी, तेन्नाली रोड, नाराकोडरू, चेबरोली, मांडल, गुंटूर, आंध्रपदोश बांच ए–13/15, उत्तम टोयोटा शोरूम के पास, मेरठ रोड इण्डस्ट्रीय एरिया गाजियाबाद।

8–मैसर्स ईस्टर्न कॉन्डीमेन्ट्स, प्रा0 लि0 खसरा नं0 136 ए, 135बी, 136सी, तेन्नाली रोड, नाराकोडरू, चेबरोली, मांडल, गुंटूर, आंध्रपदोश बांच ए--13/15, उत्तम टोयोटा शोरूम के पास, मेरठ रोड इण्डस्ट्रीय एरिया गाजियाबाद.

.......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii)एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 व 2 श्री भागचन्द बैरवा उप0 एवं अभिभाषक अप्रार्थी सं0 7 व 8 श्री राधेश्याम धाकड़ उप0।

:–निर्णय–: दिनांक 05/6/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.03.2016 को समय दोपहर 02:00 पी.एम. पर मैसर्स अमित ट्रेडर्स बस स्टैण्ड ककोड तह. उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री अमित कुमार जैन पुत्र श्री रमेश जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स अमित ट्रेडर्स बस स्टैण्ड ककोड तह. उनियारा जिला टोंक पर खादय प्रदार्थ गुड, तेल, घी, शक्कर, मसाले व

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री अमित कुमार जैन पुत्र श्री रमेश जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री अमित कुमार जैन पुत्र श्री रमेश जैन ने स्वयं को मैसर्स अमित ट्रेडर्स बस स्टैण्ड ककोड तह. उनियारा जिला टोंक का एकमात्र मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, श्री अमित कुमार जैन की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में कन्फैक्शनरी, गुड, तेल, घी, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ–साथ **लाल मिर्च पावडर (Eastern)** दुकान की रैंक में लगभग 40 मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 500 ग्राम पैक में रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री अमित कुमार जैन पुत्र श्री रमेश जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री अमित कुमार जैन पुत्र श्री रमेश जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताकर कि दुकान की रैक में 500 ग्राम के के 40 नग पॉली पैक में से 4 नग पॉली पैक प्रत्येक 500–500 ग्राम **लाल मिर्च पावडर(Eastern)** जिसके बैच नं0एन.ए 50010 एवं पैंकिग की दिनांक 22.11.2015 थी, में से 4 मूल पैक प्रत्येक 500 ग्राम वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **लाल मिर्च पावडर(Eastern)** 500–500 ग्राम के 4 पॉली पैक को ज्यों का त्यों साफ प्रिन्टेड को लेकर, 4 नग पॉली पैक में से 500–500 ग्राम के एक–एक नग के नियमानुसार चार भाग कर तैयार कर , चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1299 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं आई–1299 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉं तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता अमित कुमार जैन पुत्र श्री रमेश जैन जाति महाजन निवासी मेन मार्केट ककोड तह. उनियारा जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स लक्ष्मी एजेन्सीज बी–1, नेहरू नगर, पानीपेंच जयपुर राज0 का एवं मैसर्स लक्ष्मी एजेन्सीज बी–1, नेहरू नगर, पानीपेंच जयपुर राज0 ने बतौर वारन्टी मैसर्स विनायक सेल्स कॉरपोरेशन जी 7, एच–31, कृष्णा अपार्टमेन्ट, रोड नं0 9, वीकेआई एरिया जायपुर राज0 एवं पत्र प्रेषित करने पर मैसर्स ईस्टर्न कॉन्डीमेन्ट्स, प्रा0 लि0 खसरा नं0 136 ए, 135बी, 136सी, तेन्नाली रोड, नाराकोडरू, चेबरोली, मांडल, गुंटूर, आंध्रप्रदेश बांच ए–13/15, उत्तम टोयोटा शोरूम के पास, मेरठ रोड इण्डस्ट्रीय एरिया गाजियाबाद का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य प्रदार्थ कया करना अवगत कराया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/16/2385 दिनांक 16.06.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एल.एम. /176/एक्ट/2016/228 दिनांक 20.04.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया **लाल मिर्च पावडर(Eastern)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री भागचन्द बैरवा एवं अप्रार्थी सं0 7 व 8 की ओर से अभिभाषक श्री राधेश्याम धाकड़ उपस्थित हुए एवं अप्रार्थी सं0 3 ता 6 अनुपस्थित रहें। अभिभाषकगण ने बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **लाल मिर्च पावडर(Eastern)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52(सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषकगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **लाल मिर्च पावडर(Eastern)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं0 1 ता 6 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ निर्माता फर्म से क्रय किया है। अतः अप्रार्थी सं0 1 ता 6 को दोषमुक्त किया जाता है। अप्रार्थी सं0 7 व 8 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं0 7 व 8 पर कुल शास्ति रूपये 10,000/—(अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/6/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक